न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत–संजीव कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 2022/168

1. चोथूराम
2. मालचन्द
3. श्योपतराम

पि0 मेघाराम जाति जाट निवासीगण खोखराना तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

–वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर**–प्रतिवादी**

दावाबाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
दावाअन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित–

1. श्री रामकरण मूण्ड वकील वादीगण
2. पैरोकार राज

–:निर्णय:–

दिनांक :– 11/01/2024

संक्षेपमें इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण के नाम से खातेदारी कृषि भूमि मौजा रोही चक 7–10 एमजीडी के खता संख्या 39 के मु0नं0 23/9 के कि0नं0 6 ता 20, 22 ता 25 तादादी 4.8051 हैक्टेयर अनकमांड , मु0नं0 23/10 के कि0नं0 2 ता 5 तादादी 1.0116 हैक्टेयर अनकमांड, मु0नं0 23/17 के कि0न 21 तादादी 0.2529 हैक्टेयर अनकमांड, 0. 0253 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता, मु0नं0 23/18 के कि0नं0 21 तादादी 0.2529 हैक्टेयर अनकमांड, 0.0253 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता कुल तादादी 6.3225 हैक्टेयर अनकमांड 0.0506 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता सहित भूमि है। उपरोक्त भूमि वादीगण के कब्जे एवं दखल मे स्थित है। उपरोक्त भूमि वादीगण के पिता के नाम से थी वादीगण के पिता का मेघाराम व माता धनीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है। वादीगण उनके जायज वारिस है। उपरोक्त भूमि पर वादीगण का शांति पूर्वक लम्बे समय से कब्जा एवं काश्त मे चली आ रही है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

वादीगण द्वारा तहसीलदार माहेदय को ाम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.04.2022 को प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा न्यायालय हाजा मे वाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए जिसके कारण वादीगण को नाम दुरूस्ती बाबत् वाद कारण हासिल हुआ । यही दिनांक विनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत है।

वादगत भूमि वादीगण के पिता मेघाराम की भूमि है सहबन से वादीगण के पिता मेघाराम के स्वर्गवास के बाद विरासतन नामान्तरण्करण दर्ज करते समय वादी संख्या 1 चोथूराम के स्थान पर कृष्णराम वादी संख्या 2 मालचन्द के स्थान पर मालाराम, वादी संख्या 3 श्योपतराम के स्थान पर हंसराज नाम सहबन से लिखा गया जो महत लिपिकीय भूलवंश लिखा गया है। वकील वादीगण द्वारा वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादगत भूमि मौजा रोही चक 7–10 एमजीडी के खता संख्या 39 के मु0नं0 23/9 के कि0नं0 6 ता 20, 22 ता 25 तादादी 4. 8051 हैक्टेयर अनकमांड , मु0नं0 23/10 के कि0नं0 2 ता 5 तादादी 1.0116 हैक्टेयर अनकमांड, मु0नं0 23/17 के कि0न 21 तादादी 0.2529 हैक्टेयर अनकमांड, 0.0253 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता, मु0नं0 23/18 के कि0नं0 21 तादादी 0.2529 हैक्टेयर अनकमांड, 0.0253 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता कुल तादादी 6.3225 हैक्टेयर अनकमांड 0.0506 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता सहित भूमि मे वादीगण कृष्णराम के स्थान पर चोथूराम, मालाराम के स्थान पर मालचन्द, हंसराज के स्थान पर श्योपतराम नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया गया। वाद पत्र के समर्थन मे दस्तावेज कार्यालय ग्राम पंचायत खोखराणा सरपंच द्वारा जारी पत्र, जमाबन्दी ग्राम खोखराना खाता संख्या 232 तादादी 13.6600 हैक्टेयर प्रति जिसमे वादीगण के सही नाम का अंकन है एवं आधार प्रति चोथुराम,राशन कार्ड प्रति चोथुराम, आधार प्रति मालचन्द,राशन कार्ड प्रति मालचन्द, जनआधार प्रति मालचन्द,आधार प्रति श्योपतराम, राशन कार्ड प्रति श्योपतराम एवं वाद पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र मदनलाल गोदारा पुत्र गणपतराम गोदारा जाति जाट , रामेश्वरलाल पुत्र जैसाराम जाति जाट साकिन खोखराणा द्वारा समर्थन मे पेश शामिल मिसल है। उक्त दुरूस्ती की जाती है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही। नाम शुद्ध होने से वादी को न्याय मिलेगा व सरकारी सुविधा प्राप्त कर सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र के समर्थन मे दस्तावेज कार्यालय ग्राम पंचायत खोखराणा सरपंच द्वारा जारी पत्र, जमाबन्दी ग्राम खोखराना खाता संख्या 232 तादादी 13.6600 हैक्टेयर प्रति जिसमे वादीगण के सही नाम का अंकन है एवं आधार प्रति चोथुराम,राशन कार्ड प्रति चोथुराम, आधार प्रति मालचन्द,राशन कार्ड प्रति मालचन्द, जनआधार प्रति मालचन्द,आधार प्रति श्योपतराम, राशन कार्ड प्रति श्योपतराम एवं वाद पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र मदनलाल गोदारा पुत्र गणपतराम गोदारा जाति जाट , रामेश्वरलाल पुत्र जैसाराम जाति जाट साकिन खोखराणा द्वारा समर्थन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वादीगण का नाम चक 7–10 एमजीडी के खता संख्या 39 के मु0नं0 23/9 के कि0नं0 6 ता 20, 22 ता 25 तादादी 4.8051 हैक्टेयर अनकमांड , मु0नं0 23/10 के कि0नं0 2 ता 5 तादादी 1.0116 हैक्टेयर अनकमांड, मु0नं0 23/17 के कि0न 21 तादादी 0.2529 हैक्टेयर अनकमांड, 0.0253 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता, मु0नं0 23/18 के कि0नं0 21 तादादी 0.2529 हैक्टेयर अनकमांड, 0.0253 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता कुल तादादी 6.3225 हैक्टेयर अनकमांड 0.0506 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता सहित भूमि मे वादीगण कृष्णराम के स्थान पर चोथूराम, मालाराम के स्थान पर मालचन्द, हंसराज के स्थान पर श्योपतराम प्रस्तुत बहस एवं दस्तावेजो होने की पुष्टि होती है। अतः वादगण वादी स्वीकार किया जाता है कि वादगत भूमि चक 7–10 एमजीडी के खता संख्या 39 के मु0नं0 23/9 के कि0नं0 6 ता 20, 22 ता 25 तादादी 4.8051 हैक्टेयर अनकमांड , मु0नं0 23/10 के कि0नं0 2 ता 5 तादादी 1.0116 हैक्टेयर अनकमांड, मु0नं0 23/17 के कि0न 21 तादादी 0.2529 हैक्टेयर अनकमांड, 0.0253 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता, मु0नं0 23/18 के कि0नं0 21 तादादी 0.2529 हैक्टेयर अनकमांड, 0.0253 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता कुल तादादी 6.3225 हैक्टेयर अनकमांड 0.0506 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता सहित भूमि मे वादीगण कृष्णराम के स्थान पर चोथूराम, मालाराम के स्थान पर मालचन्द, हंसराज के स्थान पर श्योपतराम दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लूनकरणसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अतः उक्त दुरूस्ती का अंकन कियाजावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11/01/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर जलसाआम में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उपखण्डअधिकारी
लूनकरणसर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : संजीव कुमार आरएएस

चोथुराम आदि बनाम स्टेट

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए, धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमानम्बर : 168/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वादी वकील रामकरण मूण्ड,** मिनजानिब मुदई **पैरोकार राज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि मौजा रोही चक 7–10 एमजीडी के खता संख्या 39 के मु0नं0 23/9 के कि0नं0 6 ता 20, 22 ता 25 तादादी 4.8051 हैक्टेयर अनकमांड , मु0नं0 23/10 के कि0नं0 2 ता 5 तादादी 1.0116 हैक्टेयर अनकमांड, मु0नं0 23/17 के कि0न 21 तादादी 0.2529 हैक्टेयर अनकमांड, 0.0253 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता, मु0नं0 23/18 के कि0नं0 21 तादादी 0.2529 हैक्टेयर अनकमांड, 0.0253 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता कुल तादादी 6.3225 हैक्टेयर अनकमांड 0.0506 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता सहित भूमि मे वादीगण कृष्णराम के स्थान पर चोथूराम, मालाराम के स्थान पर मालचन्द, हंसराज के स्थान पर श्योपतराम नाम दुरूस्ती की घोषणा की जाती है।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीससदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से मजमाआम में आज दिनांक 11/01/2024 को मेरे द्वारा डिक्री जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर